

तारीख
हुक्म

शुमि की बाप पैमरिश अपनी खातेदारी
शुमि की पत्थर गदी का खाना खाता है
कहस में बताया गया।
जामने अपने जर्नल पत्र में 3 अप्रैल 19

मिला कि गामकैलावा काला के (व.न. 867/3
ख.न 867/1 व 867-जर्नल के तथा ख.
न. 867/2 व.न. 867/5 अजर्नल से उनके (व.न
867 व 867/4 अजर्नल के हैं तथा उनकी
खसरे भागे भाप चिए है। तसरो के
बीच सीमा नही होने से विवाद है सीमांकन
का अर्डर कले पर शुमि पैमरिश का पत्थरी
ने विवाद होने से पैमरिश बचना सम्भव
नही कहा। जामने व अजर्नल के तसरो
कोर्ट के आदेशानुसार किया जा चुका है
तुसीम नही होने व बीच के सीमा नही होने
से तसरे विवाद है पत्थर गदी
का के आदेश बतने हेतु निवेदन किया
गया। जामने पत्र के रजिस्ट्रार किया
गया। अजर्नल गरीबों को कोर्ट में नोटेस
लम्ब किया गया।

उपर्युक्त के अवलोकन से भदवा
निः संदेह जाहिर होती है कि जामने स्वयं
की खातेदारी कृप शुमि की पत्थर गदी
बाप सीमांकन कले के अर्थकारी है
उन तस्को के देखते हुए नैसर्गिक सिद्ध
के आदेश पर जामने को जर्नल पत्र
स्वीकार भोग्य है।

आदेश
जामने का जर्नल पत्र अर्जुन शर्मा

रा.पु.जो.

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाबरी

111, 1282.R. अक्ट. स्वीकार किया गया है
 तथा अहम केलावा कला के (व.न. 86/3
 रकबा 30.00 बीघा, ख.न. 86/1 रकबा
 05 बिस्वाव (व.न. 86/2 रकबा 22.09 बीघा
 भूमि की पैदाईश हीम जगित नकल को
 हेतु तदसीमदार वावडी को अप्रेश
 दिया जा रहा है। यदि सीमांकन रिपोर्ट अनुसार
 विवादास्पद भूमि की पट्टा बहिष्कार
 के अप्रेश तदसीमदार वावडी को दिये
 जा रहे हैं। तदसीमदार वावडी को पावता
 की आवश्यकता पड़ने पर सम्बंधित
 प्राजाधिकारी से पावता तदसीमदार
 वावडी प्राप्त करें।
 तदसीमदार वावडी को पालनको
 तदधीर जारी है। पालनको के समक्ष
 होकर, नकल (सिकता होकर, दारिदर
 पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, वावडी